प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 2021**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यो हेतु अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-118/एफ0एम0/वि0प्र0-2/ट्रांसको/बजट/399, दिनांक 23 जून, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यो हेतु ऊर्जा विभाग के लिए अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह जुलाई, 2021 से माह फरवरी, 2022 तक धनराशि रूपये 12,50,00,000/- (रूपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र) की आठ समान मासिक किश्तों में किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वास्तविक आवश्यकता होने पर उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यो के लिए किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग अन्य किसी कार्य हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उपयोग की गयी धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- इस मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

7- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- स्वीकृति धनराशि का उपयोग/व्यय योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक व दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। प्रयास यह करें कि ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति/ जनजाति को भी लाभ इस योजना से मिले।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03- उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यों हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-520/दस-2021 2022, दिनांक 27 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-86 /2021/963(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1
7- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in